कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, सम्भल।

पत्रांकः– 758 / अनापत्ति प्रमाण पत्र　　　　　　　　दिनांकः– 18/3/19

सेवा में,

अपर जिला मजिस्ट्रेट(वि0 / रा0),
सम्भल

विषयः – गाटा संख्या 325 स्थित ग्राम पवांसा, तहसील–सम्भल, जनपद सम्भल पर पर भारत पेट्रोलिय कार्पोरेषन लिमिटेड को रिटेल आउटलेट स्थापित किये जाने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने व सम्बन्ध में।

सन्दर्भः– आपका कार्यालय पत्र संख्या– 387 / एल0बी0सी0 / 2017–18 / अ0आ0प्र0पत्र दिनाक–21.01.2018

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित विषयक पत्र के कम में मुख्य अभियन्ता, मुरादाबाद क्षेत्र, लो0नि0वि0, मुरादाबाद के पत्रांक 295 / 46एम0–मु0क्षे0 / 19 दिनांक 22.01.2019 द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र मूल रूप में संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा रहा है।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार मुख्य अभियन्ता, मुरादाबाद क्षेत्र, लो0नि0वि0, मुरादाबाद द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र मूल रूप में मानचित्र की एक प्रति सहित।

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
सम्भल।

O/C

कुमार अविनाश
प्रादेशिक प्रबंधक (रिटेल)
भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड
आबू का मकबरा, कैसर गंज
मेरठ–250002 (उ0प्र0)

Sanjay Anand
Territory Manager (Retail)
Bharat Petroleum Corporation Ltd.
Bareilly Territory

(अरविन्द कुमार)
प्रभागीय वनाधिकारी
सम्भल वन प्रभाग, सम्भल।

कार्यालय मुख्य अभियन्ता
मुरादाबाद क्षेत्र, लो0नि0वि0, मुरादाबाद ।

पत्रांक :- 295 / 46 m -मु0क्षे0/19 दिनांक- 22.1.19

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
सम्भल ।

विषय :- गाटा सं0-325 स्थित पवांसा, तहसील-सम्भल, जनपद सम्भल पर भारत पैट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड को रिटेल आउटलेट (पैट्रोल पम्प) को स्थापित करने हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में ।

सन्दर्भ :- अधीक्षण अभियन्ता, मुरादाबाद वृत, लो0नि0वि0, मुरादाबाद का पत्रांक-55/105काम-मु0वृत/18 दिनांक 05.01.2019

कृपया उपरोक्त विषयक सन्दर्भगत पत्र का सन्दर्भ ग्रहण करें। विषयगत प्रकरण में अधीक्षण अभियन्ता, मुरादाबाद वृत, लो0नि0वि0, मुरादाबाद द्वारा की गई संस्तुति एवं शर्तो के तारतम्य में **गाटा सं0-325 स्थित पवांसा, तहसील-सम्भल, जनपद सम्भल पर रिटेल आउटलेट** (पैट्रोल पम्प) स्थापित करने हेतु **भारत पैट्रोलियम** कार्पोरेशन, लिमिटेड को निम्न शर्तो के साथ लो0नि0वि0 से सम्बन्धित अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत किया जाता है :-

1- मानचित्र मानक के अनुसार बने है ।

2- प्रस्तावित निर्माण अभी तक प्रारम्भ नहीं किया गया है ।

3- आवेदक के विरूद्ध उक्त प्रस्तावित स्थल सम्बन्धी उ0प्र0 रोड साईड लैण्ड कन्ट्रोल एक्ट-1945 की धारा-13(1) अथवा 13(2) के अन्तर्गत कोई वाद न्यायालय में विचाराधीन नहीं है अन्य किसी प्रकार के वाद एवं विवाद के सम्बन्ध में आवेदक का उत्तरदायित्व होगा ।

4- प्रस्तावित निर्माण स्थल पालिका की सीमा के बाहर है ।

5- प्रस्तावित बदायूँ-बिल्सी-बिजनौर मार्ग (राज्य मार्ग-51) के कि0मी0-80, चैनेज 79.100 के दायीं ओर स्थित है ।

6- प्रस्तावित निर्माण कृषि योग्य भूमि पर बनाया जाना प्रस्तावित नहीं है ।

7- रिटेल आउटलेट की सर्विस रोड के लिये 1.00 किमी0 की दूरी पर सर्विस बेरियर नहीं है ।

8- बफर स्ट्रिप 22.00 मी0 लम्बाई एवं 3.00 मी0 चौडाई तथा रिटेल आउटलेट पर वाहनों का प्रवेश एवं निकास कवर्स की चौडाई 11.50 मी0 है ।

9- प्रस्तावित पैट्रोल पम्प का निर्माण आई0आर0सी0 कोड सं0-12-2009 के अनुसार किया जाये ।

10- प्रस्तावित मार्ग की मध्य रेखा से बफर स्ट्रिप 22.86 मी0 पम्प 36.86 मी0-44.86 मी0 एवं भवन निर्माण 53.36 मी0 की दूरी पर नक्शें में प्रदर्शित है ।

क- आवेदक को **पैट्रोल पम्प** लगाने की अनुमति मिलने के उपरान्त अपने निजी खर्चे से मान चित्रानुसार ओपन ड्रेन(नाली) एवं दोनों ओर पुलिया एवं पहुँच मार्ग का निर्माण लो0नि0वि0, की विशिष्टियों के अनुसार कराना होगा । 15 वर्षो के लिये लीजडीड एग्रीमेन्ट निर्धारित प्रपत्र (Annexure-3) पर फर्म से प्राप्त कर लिया गया है एग्रीमेन्ट की फीस सक्षम अधिकारी से अनुमति प्राप्त होने के उपरान्त जमा करायी जायेगी । प्रार्थी का लीजडीड एग्रीमेन्ट संलग्न है ।

ख- आवेदक को यह सुनिश्चित कराना होगा, कि पैट्रोल पम्प लगाने के पूर्व व पश्चात् मार्ग पर किसी प्रकार से यातायात के संचालन में अवरोध न होने पाये ।

ग- आवेदक द्वारा किसी भी दशा में स्वंय के इस्तेमाल एवं वर्षा के पानी का बाहव इस प्रकार कराना होगा कि पानी बिना किसी अवरोध के सीधा नाली में ही आये तथा किसी भी दशा मे रिटेल आउटलेट का पानी मार्ग पर नहीं आना चाहियें एवं नाले को बन्द नहीं किया जायेगा ।

घ- फिलिंग स्टेशन की सतह को मार्ग की लेपित सतह से 0.50 मी0 नीचा रखा जायेगा ।

11- प्रस्तावित पैट्रोल पम्प के पहुँच मार्ग पर 1.00 मी0 स्पान की आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण लो0नि0वि0 की विशिष्टियों के अनुरूप कराना होगा तथा निर्मित की जाने वाली पुलियों के बीच रोड साईट खन्ती में 1.00 मी0 चौडाई का ड्रेन बनाकर ऊपर स्टील पाईप के कैटिल केचर बना दिया जाये ताकि रोड का पानी सुरक्षा एवं सुविधा पूर्वक रोड साईट ड्रेन से होकर आगे प्राकृतिक नाली/नाले में बह सकें । किसी भी दशा में नाली/नाले को बन्द नहीं किया जायेगा । साथ ही यह सुनिश्चित करना होगा कि पानी किसी भी दशा में सड़क पर न आने पाये ।

Anand C.S.

F:\Dk\World\Petrol Pamp.doc

13- प्रस्तावित पैट्रोल पम्प के पहुँच मार्ग पर 1.00 मी0 स्पान की आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण लो0नि0वि0 की विशिष्टियों के अनुरूप कराना होगा तथा निर्मित की जाने वाली पुलियों के बीच रोड साईट खन्ती में 1.00 मी0 चौडाई का ड्रेन बनाकर ऊपर स्टील पाईप के कैटिल केचर बना दिया जाये ताकि रोड का पानी सुरक्षा एवं सुविधा पूर्वक रोड साईट ड्रेन से होकर आगे प्राकृतिक नाली/नाले में बह सकें। किसी भी दशा में नाली/नाले को बन्द नहीं किया जायेगा। साथ ही यह सुनिश्चित करना होगा कि पानी किसी भी दशा में सड़क पर न आने पाये।

14- प्रस्तावित पैट्रोल पम्प के पहुँच मार्ग का ढाल लो0नि0वि0 मार्ग से पुलिया की ओर होगा तथा पुलिया आई0आर0सी0-13 के अनुसार निर्मित की जायेगी।

15- बफर स्ट्रिप के पास हैजिज की ऊँचाई 60 सेंमी0 से ऊपर न रखी जाये।

16- प्रस्तावित पैट्रोल पम्प का निर्माण लो0नि0वि0, मार्ग की स्थाई भूमि के बाहर अनुमोदित नक्शे के अनुसार किया जाये तथा निर्माण सामग्री इस सीमा में न रखी जाये। मार्ग के मध्य से 22.86 मी0 की दूरी के कम पर कोई भवन निर्माण नहीं होना चाहिये।

17- प्रस्तावित स्थल के 100 मी0 दोनों ओर कोई रोड क्रोसिंग नहीं होनी चाहियें।

18- यदि निर्माण स्थल की भूमि पर न्यायालय का कोई विवाद विचाराधीन हो तो ऐसी स्थिति में अनापत्ति प्रमाण-पत्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

19 प्रस्तावित पैट्रोल पम्प से सम्बन्धित निर्माण कार्य कराने के पूर्व प्रार्थी को इस कार्यालय (अधिशासी अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि, सम्भल) से लाईसेन्स डीड एक्जीक्यूट कराना आवश्यक है।

20- भूमि के स्वामित्व का सत्यापन राजस्व विभाग से करा लिया जाये इस सम्बन्ध में लोक निर्माण विभाग का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।

21- लोक निर्माण विभाग मार्ग के चौड़ीकरण के समय यदि पहूँच मार्ग का निर्माण कार्य हेतु पम्प आदि को शिफ्ट करने की आवश्यकता हुई तो प्रार्थी को अपने खर्चे पर ही कार्य कराना होगा। इस क्षति के लिये किसी भी प्रकार का मुआवजा नहीं दिया जायेगा। भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्रांक आर0डब्लू0/एन0एच0-33023-19/99-डी0ओ0 तृतीय दिनांक 31.08.2000, 25.09.2003 एवं 17.10.2003 में दी गयी गाईड लाईनों का अनुपालन करना होगा।

22- उक्त के अतिरिक्त शा0सं0-RW/NH/19-DO-II दिनांक 24.07.2013 के प्रस्तर-5 जिसके अनुसार मार्ग की भूमि का प्रयोग करने के लिये मुबलिक रू0 2,00,000.00 (रू0 दो लाख मात्र) एकमुश्त लाइसेंस के रूप में एवं 5 प्रतिशत प्रोसेसिंग फीस के रूप में मुबलिक रू0 10,000.00 (रू0 दस हजार मात्र) जमा करने हेतु इण्डियन ऑयल कॉरपोरेशन, लिमिटेड के डीलर के नाम से शपथ पत्र ले लिया जाये।

संलग्नः- 1-मानचित्र दो प्रतियों में।
2-एनक्जर एवं चैक लिस्ट।
3-अधी0अभि0, मु0बाद का पत्र सं0-2929/
105काम-मु0वृत/18 दि0 06.06.2018 के पत्र की छाया प्रति।

22/01/19
(एस0पी0 पाण्डेय)
मुख्य अभियन्ता

प्रतिलिपि :- अधीक्षण अभियन्ता, मुरादाबाद वृत्त, लो0नि0वि0, मुरादाबाद को उनके पत्रांक-2929/105काम-मु0वृत/18 दिनांक 06.06.2018 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

मुख्य अभियन्ता
मुरादाबाद क्षेत्र, लो0नि0वि0,
मुरादाबाद।

C.S.

(अरविन्द कुमार)
प्रभागीय वनाधिकारी
सम्भल वन प्रभाग, सम्भल।

Sanjay Anand
Territory Manager (Retail)
Bharat Petroleum Corporation Ltd.
Bareilly Territory

F:\DL\World\Petrol Pamp.doc